MOST IMMEDIATE ASSEMBLY QUESTION

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI REVENUE DEPARTMENT: PARLIAMENT CELL 5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

No. F.11/2072/DC/PC/VS/2023 / 2938

Dated: 16/12/2023

To

The Dy. Secretary (Question Cell) Delhi Legislative Secretariat, Old Secretariat Delhi-110054

Sub: Reply to Vidhan Sabha Unstarred Question No. 184 fixed for 18.12.2023 raised by Hon'ble MLA Sh. Sanjeev Jha Ji.

Sir,

Please find enclosed herewith the 100 copies of the reply in respect of above said question for further necessary action at you end.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

Yours faithfully

Encl.: As above.

(MANVINDER SINGH)

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-IV (HQ)

MANVINDER SINGH
Sub Divisional Magistrate (HQ)
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार कार्यालय—मण्डलायुक्त राजस्व विभाग : संसदीय प्रकोष्ठ, 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 184

दिनांक 18.12.2023

राजस्व विभाग

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक श्री संजीव झा जी क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

प्राम सभा भूमि डीडीए को सौंपी गई है उसका खसरा और क्षेत्रफल सहित विवरण उपलब्ध करवाए; ख) क्या डीडीए द्वारा इन सभी भूमि पर विभागीय कब्जे की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है; ग) यदि हाँ, तो उसका खसरा सहित विवरण दें; घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं; और ड यदि डीडीए को सौंपने के बाद भी किसी ग्राम सभा भूमि पर अवैध अतिक्रमण जारी है तो क्या उस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही			
क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में राजस्व जिला सेंट्रल और नार्थ में कितनी ग्राम सभा भूमि डीडीए को सोंपी गई है उसका खसरा और क्षेत्रफल सहित विवरण उपलब्ध करवाए; ख) क्या डीडीए द्वारा इन सभी भूमि पर विभागीय कब्जे की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है; ग) यदि हाँ, तो उसका खसरा सहित विवरण दें; घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं; और उदि डीडीए को सोंपने के बाद भी किसी ग्राम सभा भूमि पर अवैध अतिक्रमण जोरी है तो क्या उस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही	क्र.	प्रश्न	
जिली संट्रल और नार्थ में कितनी ग्राम सभा भूमि डीडीए को सोंपी गई है उसका खसरा और क्षेत्रफल सहित विवरण उपलब्ध करवाए; ख) क्या डीडीए द्वारा इन सभी भूमि पर विभागीय कब्जे की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है; ग) यदि हाँ, तो उसका खसरा सहित विवरण दें; घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं; और ड यदि डीडीए को सोंपने के बाद भी किसी ग्राम सभा भूमि पर अवैध अतिक्रमण जारी है तो क्या उस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही	सं.		उत्तर
विभागीय कब्जे की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है; ग) यदि हाँ, तो उसका खसरा सहित विवरण दें; घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं; और ड यदि डीडीए को सौंपने के बाद भी किसी ग्राम सभा भूमि पर अवैध अतिक्रमण जारी है तो क्या उस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही	क)	ाजला संट्रल और नार्थ में कितनी ग्राम सभा भूमि डीडीए को सौंपी गई है उसका खसरा और क्षेत्रफल सहित	धारा—150 के अनुसार, गाँव की सभी गाँव सभा
घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं; और ड यदि डीडीए को सौंपने के बाद भी किसी ग्राम सभा भूमि पर अवैध अतिक्रमण जारी है तो क्या उस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही		विभागीय कब्जे की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है; यदि हाँ, तो उसका खसरा सहित	
सकती है?	ङ	विवरण द; यदि नहीं, तो क्या कारण हैं; और यदि डीडीए को सौंपने के बाद भी किसी ग्राम सभा भूमि पर अवैध अतिक्रमण जारी है तो क्या उस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग के द्वारा की जा	जी हाँ, भूमि स्वामित्व एजेंसी के अनुरोध पर DTF द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री (राजस्व) से प्राप्त कर ली गई है।

(मनविंदर सिंह) उप मण्डलीय दण्डाधिकारी–4 (मुख्यालय)

MANVINDER SINGH
Sub Divisional Magistrate (HQ)
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54